ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

छोटी देवी की जिंदगी को
मिली नई दिशा
(पृष्ठ – 02)

जीविका की मदद से
शुरू की दुकान, बनी उद्यमी
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत
लक्षित परिवारों का चयन
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – सितम्बर 2021 ।। अंक – 02

कोरोना काल में मिली मदद

अपने नियमित कार्यकलाप के अतिरिक्त परिस्थिति के अनुरूप लोकहित के कार्यों में सम्बद्धता में जीविका के योगदान का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय तब लक्षित हुआ जब कोविड–19 का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था। जीविका के प्रयास के कारण कोरोना काल में जीविका दीदियों को जीवन एवं धन का कम नुकसान हुआ। रणनीति के तहत कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन जीविका दीदियों, परिजनों एवं ग्रामीणों के बीच किया गया। जीविका की मदद से प्रशिक्षित दीदियों एवं कैडरों द्वारा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यकमों एवं अन्य गतिविधियों का संचालन कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इन प्रयासों के साथ ही योजना से जुड़े परिवारों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गयी। कठिनाइयों के बीच योजना के परिवारों को मदद पहुंचायी गयी। रोजगार की कमी एवं आय के साधनों के बंद हो जाने के कारण सभी के समक्ष आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गयी। ऐसी स्थिति में योजना से जुड़े परिवारों के बीच दो हजार रुपये नकद राशि वितरित करने का निर्णय सबसे कारगर निर्णय था। योजना से जुड़ी परिवारों को उपलब्ध कराई गयी दो हजार रुपये से कोरोना के मुश्किल समय में इन्हें काफी राहत मिली। इन पैसों का उपयोग दीदियों द्वारा परिवार के भोजन एवं इलाज जैसे आवश्यक कार्यों में किया गया। इसके अलावे कोरोना काल में दीदियों को खाद्य सुरक्षा कार्यकम का भी लाभ मिला। विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा खाद्य सुरक्षा कार्यकम के तहत विभिन्न खाद्य सामग्री की खरीद कर जरूरतमंद दीदियों के बीच वितरित किया गया। इस तरह जिन दीदियों एवं उनके परिजनों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी, उन्हें कोरोना काल में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी। योजना से जुड़ी परिवारों को कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण हेतु प्रेरित भी किया गया। इन प्रयासों का असर यह हुआ कि दीदियों ने शत–प्रतिशत टीकाकरण में सफलता हासिल की।

कोरोना की लहर के असर को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई स्तरों पर लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर हर प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गयी थी। समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी दीदियों के बीच भी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। इस कारण योजना से जुड़ी दीदियां आर्थिक संकट का सामना करने लगी। दीदियों के साथ उनके परिवार भी मुश्किल में थे। आर्थिक तंगी के कारण दीदियों के घरों में भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। इसी परिस्थिति में सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी सभी दीदियों को 2–2 हजार की आवश्यक राशि (इमरजेंसी फंड) उपलब्ध करवाई गयी। यह नकद राशि उपलब्ध कराने से दीदियों को बैंक आदि की भाग–दौड़ से मुक्ति मिली और उन्होंने अपने आवश्यक कार्यों में उस राशि का त्वरित उपयोग किया। इस राशि के प्राप्त होने के बाद दीदियों की आर्थिक कठिनाई में कमी आई। लक्षित समूह की दीदियों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया और कई दीदियों को मास्क उत्पादन की गतिविधियों से भी जोड़ा गया। जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुआ। कुछ दीदियों एवं उनके परिजनों को इस दौरान आरसेटी एवं अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा गया। कई दीदियों को गरीब कल्याण योजना एवं मनरेगा से भी कार्य दिलवाया गया।

समेकित प्रयास से चखा सफलता का स्वाद

समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत मधुरापुर टाँरा पंचायत के मोहनपुर गांव की मिंटू देवी का जीवन सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद बदल गया है। मिंटू देवी के पति का देहांत काफी पहले हो गया था। पति के देहांत के बाद एक लड़का एवं एक लड़की की जिम्मेदारी मिंटू देवी के कंधे पर आ गयी। मिंटू दीदी मजदूरी कर किसी प्रकार अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहण कर रही थीं। पति की मौत के बाद परिवार के पालन–पोषण के साथ बीमार पुत्र का इलाज भी एक बड़ी समस्या थी। मिंटू दीदी बताती हैं कि उनका पुत्र मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वे आगे कहती हैं कि आर्थिक कठिनाई के बीच सगे–संबंधियों ने भी मदद से इंकार कर दिया।

इसी बीच मिंटू दीदी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना में किया गया। चयन के बाद उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत किराना दुकान उत्पादक संपत्ति के रूप में हस्तांतरित किया गया। इस किराना दुकान की स्थापना एवं चालू संपत्ति के खरीदारी में ग्राम संगठन द्वारा कुल रू 20000 का सहयोग प्रदान किया गया। इस सूक्ष्म–व्यवसाय के संचालन के लिए मिंटू दीदी का क्षमतावर्द्धन किया गया। परियोजना के नियमानुसार उन्हें विशेष निवेश निधि एवं जीविकोपार्जन अंतराल राशि के तहत वित्त–पोषित भी किया गया। मिंटू दीदी कहती हैं कि धीरे–धीरे मेरे व्यवसाय ने गति पकड़ना शुरू कर दिया। व्यवसाय को सफल बनाने में जीविका के सभी कर्मी एवं मास्टर रिर्सोस पर्सन एवं ब्लॉक रिर्सोस पर्सन का भी सहयोग मिला।

मिंटू दीदी बताती हैं कि मेरा व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। व्यवसाय के संचालन के लिए वह रणनीति बनाकर कार्य कर रही हैं। दीदी कहती हैं कि योजना से प्राप्त प्रशिक्षण एवं ससमय सहायता के कारण मेरे व्यवसाय के पूंजी में वृद्धि हुई और व्यवसाय से आमदनी बढ़ी है। मिंटू दीदी बताती हैं कि योजना से जुड़ने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। मैने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़कर उसका लाभ भी लेना शुरू कर दिया है। अब समाज एवं सगे–संबंधियों में मेरा सम्मान बढ़ा है।

छोटी देवी की जिंदगी को मिली नई दिशा

पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड अंतर्गत गौरा पंचायत के ब्रह्मपुर गाँव में छोटी देवी निवास करती हैं। इनके पति का देहान्त हो गया था। उनके परिवार में दीदी के अलावा सिर्फ उनकी सास है। वह अनुसूचित जनजाति से आती है एवं उनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण परियोजना से जुड़ने से पहले शराब बेचकर करती थी। मगर शराब की बिक्री बन्द होने के बाद उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

लेकिन बाद में उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना में किया गया। योजना के तहत 19 दिसम्बर 2019 को किराना दुकान खुलवाया गया ताकि उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। योजना में उनका चयन एवं व्यवसाय की शुरुआत चाहत जीविका महिला ग्राम संगठन के सहयोग से की गयी। कुछ ही माह बाद उनकी दुकान से हर रोज का 700 से 800 रुपये तक की बिक्री होने लगी। इससे लगभग 150 रुपये रोजाना कमाई भी हो जाती है। लॉकडाउन में दीदी को ग्राम संगठन से 2000 की नकद राशि खाने–पीने के लिये दी गयी ताकि दूकान नहीं चलने के कारण उनकी दुकान की पूँजी खाने–पीने में खर्च न हो।

आज उनकी दुकान में 27000 रूपया का सामान है। दुकान की आमदनी से रोज 10–10 रूपये बचत करके 3800 रुपये में वे 2 बकरियां खरीद कर पाल रही हैं। अब उनके दुकान पर रोजाना 1000 से 1200 रुपये तक की बिक्री हो रही है जिससे 250 से 275 रुपये के बीच हर रोज की कमाई है। अव छोटी देवी के जीवन को एक नई दिशा मिल गयी है।

हिम्मत से मिली राहें

एक समय ऐसा भी था जब मुन्नी और उनके परिवार को भोजन भी नसीब नही होता था। मुन्नी की शादी कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड निवासी प्रकाश सोरेन से हुई, जो मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी से जो पैसे मिलते थे, उससे घर चलता था। कभी–कभी मजदूरी नहीं मिलने पर भूखे पेट भी सोना पड़ता था। मजदूरी के साथ साथ मुन्नी का परिवार ताड़ी के व्यवसाय में भी जुड़ा हुआ था। किसी भी तरह उनका जीवन कट रहा था।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद जीविका के सहयोग से चलाए गए कार्यक्रम सतत् जीविकोपार्जन योजना की जानकारी समूह की दीदी के माध्यम से मुन्नी मुर्मू को दी गयी। ग्राम संगठन और सामुदायिक संसाधन सेवी दल के सदस्यों द्वारा दीदी को योजना का उद्देश्य समझाया गया। फिर ग्राम संगठन की बैठक में दीदियों की सहमति से योजना में लाभार्थी के रूप में मुन्नी मुर्मू दीदी का चयन हुआ। चयन के उपरांत एम॰आर॰पी॰ द्वारा दीदी का सूक्ष्म नियोजन तैयार किया गया। मुन्नी दीदी के लिए ग्राम संगठन द्वारा 20000 रुपये का जीविकोपार्जन निवेश निधि एवं 7000 रुपये का जीविकोपार्जन अंतराल राशि की सहायता प्रदान करने निर्णय लिया गया। फिर परियोजना के अंतर्गत व्यापार संचालन से सम्बंधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण उन्हें दिलाया गया। जिसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से मुन्नी मुर्मू दीदी को प्रारंभिक पूंजी के तौर पर 16,154 रूपए का मनिहारी सामान के साथ 3846 रूपए की किराना सामान से दुकान का प्रारंभ किया गया। इस दुकान से वह प्रतिदिन लगभग 600 से 800 रूपए तक की बिक्री कर लेती है, जिससे लगभग रोजाना 130 से 145 रूपए लाभ कमा रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। धीरे–धीरे बढ़ते हुए अब दीदी की वर्तमान सम्पति लगभग 30000 रूपए की हो गयी है।

जीविका की मदद से शुरू की दुकान, बनी उद्यमी

सुपौल जिला के सदर प्रखंड अन्तर्गत हरदी पूर्व पंचायत की रहने वाली उर्मिला देवी अपने दिव्यांग पति के साथ बेहद दयनीय स्थिति में गुजर–बसर कर रही थीं। उर्मिला देवी के पति ललन दास पूरी तरह अंधे हैं और कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उसके घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उर्मिला दीदी के कंधे पर है। ऐसे दयनीय स्थिति में गुजर–बसर करने वाली उर्मिला देवी कभी किसी के घर में जुठन धोकर तो कभी भीख मांग कर खाने को विवश थी।

हरदी पूर्व पंचायत स्थित सुरभी ग्राम संगठन की दीदियां उर्मिला देवी की दयनीय स्थिति से अनजान नहीं थी। ग्राम संगठन की दीदियों के विशेष प्रयास से उर्मिला देवी का सतत् जीविकोपार्जन योजना के में चयन हुआ। उर्मिला देवी को बताया गया कि इस योजना के तहत वह अपने परिवार के गुजर–बसर के लिए कोई रोजगार या उद्यम शुरू कर सकती हैं। उर्मिला देवी ने पास के चौघारा चौक पर नाश्ते की दुकान शुरू करने की हिम्मत जुटाई। इसके बाद सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत दीदी को अपनी आजीविका शुरू करने हेतु तकनीकी एवं हर तरह की मदद एमआरपी ने सुनिश्चित किया। हर संभव मदद कर उसके लिए चौघारा चौक पर नाश्ते की दुकान शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया। इसके बाद योजना के तहत पहली किस्त के रूप में उर्मिला देवी को ग्राम संगठन के माध्यम से 20,000 रुपये उत्पादक संपत्ति उपलब्ध कराए गए। तदोपरान्त उर्मिला देवी ने ग्राम संगठन की दीदियों एवं एमआरपी की मदद से चौघारा चौक पर नाश्ते की दुकान सुरु किया। उर्मिला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उधर जीविका दीदियों को लग रहा था कि ग्राम संगठन के प्रयास से एक दीदी नई शुरुआत करने जा रही है। अब उर्मिला का जीवन बदल गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों का चयन

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों के चयन हेतु स्पेशल CRP ड्राइव की शुरुआत की गयी है। यह CRP ड्राइव पांच दिनों का होता है जिसमें 3 सदस्य होते है। इनमें 2 सदस्य ग्राम संगठन के लीडर / सदस्य एवं 1 सदस्य उसी ग्राम संगठन (पंचायत) के अंतर्गत आने वाले कैडर (CM, BK, MRP) होते हैं।

CRP ड्राइव के दौरान 5 दिनों के कार्यों का विवरण

- पहला दिन ग्राम संगठन में उन्मुखीकरण और गांव भ्रमण, दूसरा दिन PRA ,तीसरा और चौथा दिन – गृह भ्रमण एवं सर्वेक्षण और पांचवा दिन ग्राम संगठन से चयनित सदस्यों का अनुमोदन।
- ग्राम संगठन के पहले दिन की बैठक के दौरान ग्राम संगठन द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों का नाम CRP टीम द्वारा प्रथम सूची में लिखा जाएगा ।

तीसरे एवं चौथे दिन का कार्य :

क). दो दिनों के कार्यकलाप के बाद तीसरे और चौथे दिन गृह भ्रमण और सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है । इसमें PRA और गांव भ्रमण के दौरान चयनित लक्षित परिवारों का नाम सूची में लिखा जाता है।

ख). ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्ष्यीकरण की प्रथम सूची में आए नाम के आधार पर CRP द्वारा परिवार का सर्वेक्षण किया जाता है।

ग). सर्वेक्षण के दौरान CRP द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत निर्धारित सर्वेक्षण प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है एवं हर घर का सर्वे किया जाता है।

घ). सर्वेक्षण के दौरान CRP टीम को अगर कोई ऐसा लक्षित अत्यंत गरीब परिवार नजर में आता है जिसका नाम ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्ष्यीकरण की प्रथम सूची में नहीं है, उनका भी गृह भ्रमण CRP द्वारा किया जाता है।

पांचवे दिन का कार्य :

क). ग्राम संगठन की बैठक में CRP टीम द्वारा सर्वेक्षण किये गये लक्षित परिवारों की सूची एवं योजना के लिए चिन्हित लक्षित परिवारों की सूची मापदंड के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

ख). ग्राम संगठन की बैठक में सदस्यों द्वारा अत्यंत गरीब परिवारों का चयन एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना के मापदंड के अनुसार संभावित लक्षित परिवारों के विषय में चर्चा की जाती है।

ग). ग्राम संगठन चाहे तो लक्षित परिवारों के घरों का गृह भ्रमण कर सकती है।

घ). अंत मे ग्राम संगठन द्वारा सर्वसम्मति से लक्षित परिवारों का चयन किया जाता है।

ङ). तद्पश्चात ग्राम संगठन द्वारा चयनित परिवारों का अनुमोदन प्राप्त कर योजना के तहत लक्षित परिवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। उसके बाद ग्राम संगठन में लेखापाल द्वारा मिनिटाइज़ कर सभा की समाप्ति की जाती है।

च). प्रखंड इकाई द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित लक्षित परिवारों का गृह भ्रमण किया जाता है। किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर पुनः ग्राम संगठन द्वारा जाँच कर सूची का अंतिम रूप दिया जाता है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्री ब्रज किशोर पाठक – विशेष कार्य पदाधिकारी
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल